पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 25/83/10–3/2004 भोपाल,दिनांकः 21 जनवरी, 2008

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश,
भोपाल

विषयः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन भूमि से बेदखली की कार्यवाही बाबत।

केंद्र शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 दि0 31.12.2007 से प्रवृत्त कर दिया गया है। इस अधिनियम की धारा 4, उपधारा 5 के अंतर्गत वन सीमा में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के या अन्य परम्परागत वनवासी के सदस्य उनके अधिभोगाधीन वन भूमि से बेदखली की कार्यवाही तब तक रोकी जाने का प्रावधान है जब तक अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती। अतः निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:

1. अधिनियम की परिभाषा के अनुसार वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के और अन्य परम्परागत वनवासी निम्नानुसार परिभाषित किये गये हैं:

1.1 वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति' से अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं, जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं और इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति चरागाही समुदाय भी है।

1.2 ' अन्य परम्परागत वन निवासी' से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है।

स्पष्टीकरण– इस खंड के प्रयोजन के लिए 'पीढी' से पच्चीस वर्ष की अवधि अभिप्रेत है।

2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त परिभाषा पूर्ण करने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी के कब्जे की भूमि से बेदखली की कार्यवाही तब तक नहीं की जाना है जब तक कि उनके अधिकारों की मान्यता व सत्यापन की प्रकिया पूर्ण न हो जाये, बशर्ते पैरा 1 में उल्लेखित परिभाषा में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो कि

दि0 13.12.2005 को वन भूमि पर काबिज थे तथा वर्तमान समय में भी वन भूमि पर काबिज हैं।

3. यदि किसी व्यक्ति को दिनांक 31.12.2007 के पूर्व बेदखल किया जा चुका है तो यह सुनिश्चित किया जाये वे पुनः अतिक्रमण न कर पाये। अतिक्रमण के समस्त प्रयासों को निष्प्रभावी किया जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाये।

(...न पुरवार)
सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग

पृ0कमांक एफ 25/83/10–3/2004 भोपाल,दिनांक: 21 जनवरी, 2008

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, भोपाल
4. समस्त वन संरक्षक, क्षेत्रीय/संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
6. समस्त वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय/वन्यप्राणी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(… पुरवार)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग

म0प्र0शासन वन विभाग

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
म.प्र. भोपाल

क्रमांक/एफ-8/2008/10-10/ 568 भोपाल, दिनांक 11/2/08

प्रतिलिपि:-

समस्त वन संरक्षक (वन्यप्राणी/क्षेत्रीय) की ओर उपरोक्त अंतर्गत पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। म.प्र. शासन वन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।